भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए

एमएनएच शक्ति लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की सहायक कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2023-24

विषय-सूची

क्र.	विषय	पृष्ठा
1.	कंपनी की जानकारी	2
2.	सूचना	3-4
3.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	5-8
4.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	9-19
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	20-21
6.	वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणी	22-84

कंपनी की जानकारी

31.03.2024 तक निदेशक मंडल की स्थिति:

श्री जे. के. बोरा (DIN: 09632444) अध्यक्ष
श्री एस. के. पाल (DIN: 09034709) निदेशक
श्री. एस. सी. सुमन (DIN: 09549424) निदेशक
श्री ए. के. सिंह (DIN: 09501892) निदेशक
श्री. जी. आर. आनंद (DIN:08055635) निदेशक
श्री एम.पी. दरगर (DIN:10597656) निदेशक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी:
श्री एम.एस. शर्मा

मुख्य वित्तीय अधिकारी:
श्री एस.के. देबनाथ

कंपनी सचिव:
श्री एम.के. तिवारी

सांविधिक लेखा परीक्षक:
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टिटलागढ़, ओडिशा।

बैंकर्स:
भारतीय स्टेट बैंक, एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020\

यूको बैंक
जागृति विहार शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020

एक्सिस बैंक लिमिटेड
आरआर मॉल, अशोका टॉकिस रोड, वी.एस.एस. मार्ग, संबलपुर - 768001

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इसके अलावा बाजार कोलकाता के बाजू में, गोल बाजार, संबलपुर - 768001

एचडीएफसी बैंक
टैंकपानी रोड, भुवनेश्वर।

पंजीकृत कार्यालय
आनंद विहार, डाकघर - जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020।

सूचना

16वीं वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 16वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को दोपहर 2.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, आनंद विहार, पोस्ट ऑफिस - जागृति विहार, संबलपुर, उड़ीसा, 768020 में वीसी/अन्य ओवीएएम के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की लेखा परीक्षा तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और निम्नलिखित प्रस्ताव को, संशोधन के साथ या बिना, साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एमएनएच शक्ति लिमिटेड
(एम.के तिवारी)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
आनंद विहार, डाक: जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर – 768020.

टिप्पणी:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 5 मई, 2022; सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020; सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 13 जनवरी '2021 को क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। भारत सरकार (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं। वे बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें csmnhshaktiltd@gmail.com पर ईमेल भेजना होगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों के अधिकृत मेल आईडी से पहले से ही लिंक प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद तक नहीं की जाएगी।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार अल्प अवधि के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. सूचना और उसके अनुलग्नक में उल्लिखित सभी दस्तावेज तथा अन्य अनिवार्य रजिस्टर/दस्तावेज 16वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से पहले सभी कार्य दिवसों में कार्यावधि के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(ख) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए खुले रखे जाने वाले रजिस्टर, बैठक के दौरान बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ होंगे।

सदस्यगण:

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020.(उपस्थित: कंपनी सचिव, एमसीएल)।
2. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नेवेली हाउस नंबर 13 जे, पेरियार ईवीआर हाई रोड, किल्पौक, चेन्नई-600010 (उपस्थित : कंपनी सचिव, एनएलसी)।
3. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी भवन, तीसरी मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली मुंबई-400025 (अटेंडेंट कंपनी सचिव, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड)।

लेखापरीक्षकगण:

1. मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टिटलागढ़, ओडिशा।
2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता – 700 020।

निदेशकगण:

1. सभी निदेशक, एमएनएच शक्ति लिमिटेड बोर्ड।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारकगण
एमएनएच शक्ति लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,

एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। मैं आपकी कंपनी की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में 6.5एमटीवाई क्षमता वाली तलाबीरा-III खान की परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार ने जून, 2002 में अनुमोदित किया था। किन्तु,योजना आयोग ने परियोजना रिपोर्ट को उच्च क्षमता के साथ संशोधित करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, 6.5 एमटीवाई की परियोजना रिपोर्ट नवंबर, 2004 में वापस ले ली गई। तत्पश्चात, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रभाग आदित्य एल्यूमिनियम एवं नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उनकी कैप्टिव खपत हेतु तलाबीरा-II खान के आवंटन के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने तलाबीरा-II व तलाबीरा-III की खानें संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आबंटित करने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार ने ये खानें संयुक्त रूप से एमसीएल, एनएलसी और एचआईएल को 10 नवंबर, 2005 को आबंटित की थी। केन्द्र सरकार ने कोयले संरक्षण और प्रौद्योगिकी का अधिकतम नियोजन सुनिश्चित करने के लिए तलाबीरा II और तलाबीरा-III कोयला ब्लॉकों को 20 एमटीवाई क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता सहित तलाबीरा ओसीपी नामक खान बनाकर, एक तरफ एमसीएल और दूसरी तरफ एनएलसी व एचआईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का निर्णय लिया। संयुक्त उद्यमी कंपनी में एमसीएल की इक्विटी 70% होगी जबकि शेष 30% इक्विटी मेसर्स नेयवली लिग्नाईट कार्पोरेशन एवं मेसर्स हिंडाल्को की अर्थात प्रत्येक की 15% होगी। तदनुसार, एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत की गई। तलाबीरा ओसीपी (20 एमटीवाई)की परियोजना रिपोर्ट को कोल और ओवरबर्डेन आउटसोर्सिंग दोनों प्रकार के प्रारंभिक पूंजी परिव्यय के लिए दिनांक 29.03.2008 को 447.72 करोड़ के पूंजी लागत के साथ एमसीएल बोर्ड (एक मिनीरत्न कंपनी) द्वारा अपने 94वीं बैठक में अनुमोदित किया गया और उसी को एमएनएच शक्ति बोर्ड द्वारा 15 जुलाई, 2010 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

परियोजना में 994.5 हेक्टेयर कोयला धारित क्षेत्र हैं जो एफ़1-एफ़1 पश्चिम गैर कोयला क्षेत्र से सीमाबद्ध है। पूर्वी सीमा को भू-गर्भीय ब्लॉक सीमा/गैर-कोयला क्षेत्र से चिह्नित किया गया है। उत्तरी सीमा को ईब नदी से परिभाषित किया गया है और दक्षिण में तलाबीरा-। खान की साझी सीमा है, जिसका संचालन हिंडाल्को कर रहा है।

इस ब्लॉक का खनन योग्य भंडार 553.98 मी.टन.(ईब सीम व रामपुर सीम में) है। खान स्ट्रीपिंग 1:1.09 के अनुपात में कार्य करेगी। अधिकांश कोयला जी-11 एवं जी-17 श्रेणी के हैं जो थर्मल पॉवर के लिए उपयुक्त है। 20 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खान की आयु 34वर्ष है।

वर्तमान स्थिति:

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितंबर, 2014 को भारत सरकार की स्क्रीनिंग समिति द्वारा किए गए कोयला ब्लॉक के आवंटन पर निर्णय दिया है, क्योंकि सरकारी वितरण मार्ग द्वारा किए गए आवंटन मनमाने और अवैध हैं। निजी पार्टियों या सरकारी कंपनी जिनका निजी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम है,को आवंटित कोल ब्लॉक 1993 से प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर तलाबीरा-II एवं III के कोयला ब्लॉक भी 24.09.2014 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये गए हैं।

कोयला खनन (विशेष प्रावधान)अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा जारी पत्रसंख्या-103/1/2016/एनए, दिनांक-17 फरवरी, 2016 के तहत नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड को तलाबीरा II एवं III के कोयला खान के आवंटन से संबंधित निर्णय का सम्प्रेषण किया गया और पूर्व आवंटी से देय मुआवजा राशि के मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी,यह जानकारी पूर्व आवंटी अर्थात एमएनएच शक्ति लिमिटेड द्वारा 29 फरवरी, 2016 को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, प्रगतिशील कार्यों में लगी पूंजी और अमूर्त परिसंपत्ति में खर्च किये गए राशि के लिए नए आवंटी से मुआवजा प्राप्त करने का हक रखती है। कोयला खान (विशेष प्रावधान)अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया जा रहा है।

नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पूर्व आवंटी के पत्रांक-110/13/2015/एनए, दिनांक-12.09.2016 के अनुसार भौगौलिक रिपोर्ट की लागत एवं मुआवजा हेतु राशि भुगतान आयुक्त, कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को हस्तांतरित की। इसमें तलाबीरा II एवं IIIकोयला खान की मुआवजा राशि रु. 15,88,94,332 शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से राशि हस्तांतरित की।

पुन: नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पूर्व आवंटी के दिनांक-01.12.2016 के पत्रांक 110/9/2015/एनए(भाग-II) के तहत आधारभूत संरचना की लागत हेतु मुआवजा राशि भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को हस्तांतरित की। इसमें सिर्फ तलाबीरा

II एवं III के कोयला खान की मुआवजा राशि-2,66,56,000 रुपये (2 करोड़ 66 लाख 56 हजार रुपये) शामिल है। तदोपरांत कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से मुआवजा राशि हस्तांतरित की।

कंपनी गैर सरकारी वन भूमि के लिए राज्य सरकार से रु. 26.58 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि पाने का हकदार है। अभी तक कंपनी को नामित प्राधिकारी से राशि नहीं मिली है। इस राशि को तय समय में पूर्व आवंटियों को वितरित किया जाएगा।

दिनांक 15 नवंबर, 2017 को संबलपुर में आयोजित एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 42 वीं बोर्ड बैठक में प्रत्येक रु. 10/- (रुपए केवल दस) के 5,00,00,000 (पाँच करोड़) पूर्ण रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को रद्द करने के माध्यम से एमएनएच शक्ति लिमिटेड की पूंजी को 85.10 करोड़ से घटाकर 35.10 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 58.75%, जो कुल रु. 50,0000,000 (पचास करोड़) का होता है, सामान्य बैठक में शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन, विशेष संकल्प और संयुक्त उद्यम भागीदारों की सहमति से समेकित किया जाएगा। एनसीएलटी द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के बाद, नवंबर, 2021 के महीने में 50 करोड़ रुपये को उनके मौजूदा शेयर होल्डिंग अनुपात के साथ संयुक्त उद्यम के बीच वितरित किया गया।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्चः

उपरोक्त मामलों पर कोई जानकारी देना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि कंपनी का निगमन 2008-09 में हुआ है और इस प्रकार की कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण हेतु पारम्परिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए है, भू-अधिग्रहण, वन अनुमति एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जाती है।

संबंधित पार्टी लेनदेन:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण रूप से पार्टी संबंधित लेन-देन नहीं किया जाता है, जिसमें कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

ऋण गारंटी और निवेशों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) और (11) तथा कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण के तहत् वित्तीय विवरणी में किये गये निवेश, दिये गए ऋण या ऋण की गारंटी या उपलब्ध कराये गये प्रतिभूति और जिस हेतु ऋण या गारंटी या प्रतिभूति प्रस्तावित है को लोन या गारंटी प्राप्त कर उसका खुलासा किया गया है।

निगरानी तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले है।

नामांकन समिति: लागू नहीं

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व: लागू नहीं

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च: शून्य

पूंजीगत संरचनाः

कंपनी का 31.03.2024 को इक्विटी शेयर पूंजी रूपए 10,000.00 लाख है और जारी तथा सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी रु.3510.00 लाख है, जिसे कंपनी के शेयरधारकों ने अंशदान स्वरूप प्रदान की है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैं :-

(रु. लाख में)

शेयरधारकों के नाम	राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2457.00
एनएलसीइंडिया लिमिटेड	526.50
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	526.50

वित्तीय समीक्षा

कंपनी द्वारा तलाबीरा IIऔर तलाबीरा III की खदानों को हटा दिया गया था। अतः कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार, अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय को समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया। लेखा के मुख्य वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार हैः-

31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलनपत्र मद

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	अधिकृत शेयर पूंजी	10000.00	10000.00
2	प्रदत्त शेयर पूंजी	3510.00	3510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.61	0.76
4	नगद तथा नगद के समकक्ष (जमा सहित)	1851.52	1396.05
5	चालू परिसंपत्ति (नगद तथा नगद के समकक्ष को छोड़कर)	2643.27	2925.84
6	चालू देयताएँ	195.81	149.48

लाभ एवं हानि के विवरण का सार

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23
1	अन्य आय	216.11	61.37
2	अन्य व्यय	47.02	37.25
3	मूल्यह्रास	0.15	0.15
4	कर पूर्व लाभ	168.94	23.97
5.	कर व्यय	42.52	6.03
6	कर पश्चात लाभ	126.42	17.94
7	ईपीएस (रु.)	0.36	0.05

लेखापरीक्षक :

कंपनी अधिनियिम,2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2023-24 के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया:-

मेसर्स एसटीआरएल एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकर

रायगढ़, ओडिशा

निदेशक मंडल:

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट की अवधि में कंपनी के निदेशक थे :

श्री जे. के. बोरा (डीआईएन: 09632444)	अध्यक्ष (16.09.2022 से प्रभावी)
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 09501892)	निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)
श्री. एस. सी. सुमन (डीआईएन: 09549424)	निदेशक (20.07.2022 से प्रभावी)
श्री ए.के. पांडे (डीआईएन: 10152192)	निदेशक (21.03.2024 तक)
श्री एम. पी. दरगर (डीआईएन: 10597656)	निदेशक (21.03.2024 से प्रभावी)
श्री एस.के. पाल (डीआईएन: 09034709)	निदेशक (16.04.2023 तक)
श्रीमती जी. आर. आनंद (डीआईएन: 08055635)	निदेशक (17.07.2023 से प्रभावी)

16. बोर्ड की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक का विवरण अवधि के साथ नीचे दिया जा रहा है :

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	बैठक आयोजन स्थल
62 वीं	19.04.2023	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
63 वीं	17.07.2023	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
64 वीं	26.10.2023	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
65 वीं	12.01.2024	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर

निदेशको की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ बोर्ड की संरचना का विवरण :-

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठकें	
		अवधि में हुई बैठक	उपस्थित हुए
श्री जे.के.बोराह (डीआईएन: 09632444)	गैर-अधिकारी	4	4
श्री एस.सी.सुमन (डीआईएनः 09549424)	गैर-अधिकारी	4	0
श्री ए.के. पाण्डेय (डीआईएन - 10152192)	गैर-अधिकारी	4	4
श्री अनिल मलिक (डीआईएन - 00170411)	गैर-अधिकारी	1	0
श्री ए.के. सिंह (डीआईएन: 09501892)	गैर-अधिकारी	4	4
श्रीमती जी.आर.आनंद (डीआईएनः 08055635)	गैर-अधिकारी	3	0

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि-

1. 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा को 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में सूचना कंपनी नियमावली 2014 के तहत अनुभाग 197 के साथ नियम 5 को भी (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन) पढ़े जाने के अनुरोध पर प्रदान की जायेगी। अधिनियम की धारा-136 के तहत कर्मचारियों से संबंधित सूचना को छोड़कर कंपनी के सदस्यों तथा अन्य हकदारों की रिपोर्ट तथा खातों से संबंधित जानकारी भेजी जा रही है, वार्षिक आम बैठक की आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु उपलब्ध विवरणों का निरीक्षण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सदस्यों द्वारा की जाएगी। यदि कोई सदस्य इसका निरीक्षण करने में रुचि रखते हैं, तो ऐसे सदस्य कंपनी सचिव को अग्रिम लिख सकते हैं।

बैंकों का नाम तथा पता :

क्र.	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020
2	यूको बैंक	जागृति विहार शाखा (कोड 1890) जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
3	एक्सिस बैंक लिमिटेड	आर.आर.मॉल, अशोका टॉकीज रोड, वी.एस.एस.मार्ग, संबलपुर-768001
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कोलकाता बाजार के बगल में, गोल बाजार, संबलपुर- 768001
5	एचडीएफ़सी बैंक	टंकापानी रोड, भुवनेश्वर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ अवलोकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ा जाये जो कि स्वतः स्पष्ट है अतः इस पर आगे किसी भी तरह की टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

आभार

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा दिए गए बहुमूल्य निर्देशन, सहयोग तथा सुझाव के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के कार्यालय, लेखापरीक्षकों, अधिकारियों और महानिदेशालय (कोयला), कोलकाता के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139के अंतर्गत नियुक्त किये गये सांवधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (अनुलग्नक-I)
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। (अनुलग्नक-II)

ह/-
दिनांक : (जे.के. बोराह)
स्थान: संबलपुर डीआईएनः 09632444
अध्यक्ष, एमएनएच शक्ति लिमिटेड

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

मत

हमने एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के इंड एएस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी को उपरोक्त वित्तीय विवरणों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तथा लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नगदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायी निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

लेखा परीक्षण मानक (एसए) 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मौलिक लेखा परीक्षा मामले इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारियाँ

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन, निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी अन्यथा या भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्र5बंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है और जो अधिनियम 133 एवं इसके तहत जारी अन्य प्रासंगिक नियम के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित आम तौर पर भारत में स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में बदलाव तथा नगद प्रवाह के विवरण पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए उपर्युक्तानुसार प्रकटीकरण, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और इसके आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हों।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मे-दारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं , चाहे वह

धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण पर मानक के साथ आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उनसे उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा परीक्षण मानक (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यवसायी निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान व्यवसायी संशय को बनाए रखते हैं। पुनश्च,

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षण की प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे राय को आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित होते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबन्धित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है या हमारी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और हमारे लेखा परीक्षा के दौरान पहचाने जाने वाले महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को अपने वक्तव्य द्वारा आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन के प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदनः

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट), 2020 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप खंड(11) के संबंध में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक-2" में दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैः
    a. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
    b. हमारी राय में, बही की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा गया है।

c. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिकता लेखा बहियों के अनुरूप है।

d. हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

e. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

f. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

g. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमें सूचित किया जाता है कि अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी पर लागू नहीं होतीं है।

h. प्रबंधन ने निरूपित किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को कोई भी निधि या उधार नहीं दिया गया या किसी भी निधि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से) का निवेश नहीं किया गया है। इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से इस तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा।

i. प्रबंधन ने निरूपित किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ कि लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी ; तथा

j. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, इस दौरान हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (1) और (2) के तहत अभ्यावेदन में कोई गलत विवरण है।

k. कंपनी नियमावली, 2014 के नियम, 11 (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारे विचार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निम्न को शामिल किया गया है:

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है, जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को फंड में स्थानांतरित करने में देरी नहीं होती है।

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 का अनुपालन नहीं होता है।

कृते,
एसटीआरएल & एसोसिएट्स एम एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी संख्या: 015254सी

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 11/04/2024

ह/-
(संदीप कुमार टिबरेवाल)
भागीदार एम.नं 055209
यूडीआईएन:एम.नं.302197

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

   क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति तथा संपत्ति के उपयोग के अधिकार की प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

   ख. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के संपत्ति संयंत्र और उपकरण और संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और हमारी राय में इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई है। ऐसे भौतिक सत्यापन कंपनी के स्वरूप और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उचित है।

   ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई स्वामित्व विलेख नहीं है।

   घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

   ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च 2023 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. कंपनी के पास कोई वस्तु-सूची नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

   क. कंपनी के पास कोई वस्तु-सूची नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

   ख. कंपनी को कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अन्य संस्था को ऋण या स्थायी गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

   क. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अन्य संस्था को ऋण या स्थायी गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

   ख. हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण देने के नियम और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

   ग. दिए गए ऋणों के संबंध में, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और मूल राशि का पुनर्भुगतान और ब्याज की प्राप्तियां आम तौर पर शर्त के अनुसार नियमित होती हैं।

   घ. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख तक कोई भी अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

   ङ. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए किसी भी ऋण का नवीकरण या विस्तार नहीं किया गया है या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए नए ऋण नहीं दिए गए हैं।

   च. कंपनी ने वर्ष के दौरान मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए खंड 3(iii)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

   कंपनी ने कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम राशि नहीं दी है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता.

v. कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii. वैधानिक बकाया के संबंध में:

हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सामग्री वैधानिक देय जो उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू होते हैं सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है।

कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संबंध में विवादित बकाया का विवरण नीचे दिया गया है। :-

क्रमांक	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रु. लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम	आयकर	336.43	2011-12 2012-13 2013-14	सीआईटी (ए), संबलपुर

उपरोक्त विवादित बकायों में से, निम्नलिखित बकायों का आंशिक भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में डीआईएन/आदेश संख्या एवं दिनांक के माध्यम से किया गया: -

1. वित्तीय वर्ष 2012-13 – डीआईएन/आदेश संख्या- टीबीए/एनएफएसी/एस/250/2022-23/1047996202(1) दिनांक 14.12.2022, और
2. वित्तीय वर्ष 2013-14 - डीआईएन/आदेश संख्या- आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2022-23/1048488535(1) दिनांक 06.01.2023

बी) वित्तीय वर्ष 2012-13 और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लंबित टीडीएस सहित आयकर के विरुद्ध जमा की गई कुल राशि वित्तीय वर्ष 23-24 में जुलाई 2023 के महीने में 3,45,75,574.00 रुपये ब्याज सहित निम्नानुसार प्राप्त हुई:

क्रमांक	वर्ष	टीडीएस	पूर्व डिपोजिट	ब्याज	कुल राशि
1	वित्तीय वर्ष 13-14	37,57,670.00	1,48,74,190.00	87,64,474.00	2,73,96,334.00
2	वित्तीय वर्ष 14-15	3,70,781.00	13,94,000.00	24,14,459.00	71,79,240.00
कुल राशि	1,13,32,161.00	2,57,47,000.00	1,11,78,933.00	3,45,75,574.00	

सी) 31 मार्च 2023 तक आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संबंध में विवादित बकाया का शेष विवरण नीचे दिया गया है: -

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रूपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम	आयकर	1,81,73,140.00	2011-12	सीआइटी (ए),
					संबलपुर

उपरोक्त में से 1,82,52,086.00 रुपये की राशि विरोध स्वरूप आयकर के अधीन जमा कर दी गई है तथा टीडीएस को मांग के अनुरूप समायोजित कर दिया गया है।

ii) इसके अलावा, विरोध के तहत सेवा कर के तहत जमा की गई 20.87 लाख रुपये की राशि अंतिम आदेश संख्या 75689/2021 के तहत वित्त वर्ष 21-22 में पहले ही प्राप्त हो चुकी थी।

iii) आयकर पोर्टल पर 28,616.51 रुपए का टीडीएस डिफॉल्ट सारांश उपलब्ध है, जिसका विवरण प्रबंधन द्वारा सत्यापन हेतु लंबित है।

i) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

j) क. कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर बकायादार घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ङ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

k) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

l) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई भी रिपोर्ट कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है

(ग) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

m) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

n) कंपनी एक केंद्र सरकार नियंत्रित उद्यम है और संबंधित पार्टी लेनदेन के कारण भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैराग्राफ 26 के तहत आवश्यक प्रासंगिक विवरणों का खुलासा किया है।

o) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड (xiv)(ए) और (xiv)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

p) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

q) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश का खंड 3(xvi)(ए), (बी), (ग) एवं (घ) लागू नहीं है।

r) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। इसने हमारे ऑडिट में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए कार्य पूर्व खर्चों के कारण ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में भी लाभ कमाया है।

s) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है।

xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने (एजिंग) और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन-पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी और न

ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

xx) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते, एसटीआरएल & एसोसिएट्स एम एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी संख्या: 015254सी

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 25/04/2024

ह/-
(संदीप कुमार टिबरेवाल)
भागीदार
यूडीआईएन:एम.नं.

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - 2
एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

क्रमांक	विवरण	लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जा सकते हैं।	कंपनी के खाते टैली के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में रखे जाते हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर, जिसमें मैनुअल फीडिंग के माध्यम से सभी डेटा को कैप्चर किया जाता है। चूंकि कोई विनिर्माण और अन्य लेनदेन नहीं हैं, इसलिए रिपोर्टिंग के लिए अन्य खंड लागू नहीं होते हैं।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण /बट्टे खाते में ऋण/ ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन / छूट / बट्टे खाते की ऋण / उधार / ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्त धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

कृते, एसटीआरएल & एसोसिएट्स एम एल पी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजी संख्या: 015254सी

स्थान : संबलपुर

दिनांक : 25/04/2024

ह/-
(संदीप कुमार टिबरेवाल)

भागीदार

एम.नं 055209

यूडीआईएन:एम.नं.302197

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक – 3

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को हमने कंपनी के रूप में एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारीः

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेन्ट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना, कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, लेखा-परीक्षा अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर समयबद्ध प्रस्तुतीकरण शामिल है।

लेखा परीक्षकों की उत्तरदायित्वः

हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1) अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित है, जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियाँ या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा का ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के वित्तीय आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताया गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया गया है।

कृते, एसटीआरएल & एसोसिएट्स एम एल पी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजी संख्या: 015254सी

स्थान : संबलपुर

दिनांक : 25/04/2024

ह/-
(संदीप कुमार टिबरेवाल)

भागीदार

यूडीआईएन:एम.नं.

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के लेखा की लेखापरीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते, एसटीआरएल & एसोसिएट्स एम एल पी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजी संख्या: 015254सी

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 25/04/2024

ह/-
(संदीप कुमार टिबरेवाल)

भागीदार

यूडीआईएन:एम.नं.

E-152162

No. 100 DGA (C)/Kol/LA-I/Accounts/MNH SHAKTI LTD./2023-24/2024-25

Annexure-II

सत्यमेव जयते

संख्या
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated......................20 ....

CONFIDENTIAL

To
The Chairman,
MNH Shakti Limited,
Anand Vihar, PO Jagruti Vihar, Burla
Sambalpur-768020, Odisha

Sub: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of MNH Shakti Limited for the year ended 31 March 2024.

Sir,

I forward herewith the comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of MNH Shakti Limited for the year ended 31 March 2024.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Receipt No. 1662 Date 09.07.24 Director(Tech./Op) Secretariat

Encl: As stated.

c/s
A. Biswas

Yours faithfully,

(Bibhudatta Basantia)
Director General of Audit (Coal)
Kolkata

Place: Kolkata
Dated: 30 May 2024

पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700 020
OLD NIZAM PALACE (First Floor), 234/4, Acharya Jagadish Ch. Bose Road, Kolkata-700 020
Phones : 2287-5380, 2287-7165, 2281-5784, 2290-0314, 2287-8838 Fax : 2280 0062
e-mail : dgacoalkol@cag.gov.in

अनुलग्नक -II

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा 13 अप्रैल,2024 को की गई लेखा परीक्षा में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एमएनएच शक्ति लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण न करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(बिभूदत्ता बसंतीया)

महानिदेशक लेखा परीक्षा (कोल)

कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 30 मई, 2024

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की सहायक कंपनी)

एमएनएच

वर्ष 2023-24 के लिए

वित्तीय विवरणी

पंजीकृत कार्यालय: आनंद विहार, पोस्ट– जागृति विहार,

संबलपुर, ओड़िशा, 768020

31 मार्च 2024 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

तुलना पत्र		टिप्पणी सं.	दिनांक को 31.03.2024	31.03.2023
परिसंपत्तियाँ				
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		3.1	0.61	0.76
पूंजीगत कार्य प्रगति		3.2	-	-
अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ		3.3	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.4	-	-
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.5	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	निवेश	4.1	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		11.2	-	-
गैर - चालू कर परिसंपत्तियाँ		11.1	-	-
अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ		6.1	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ			**0.61**	**0.76**
चालू परिसंपत्तियाँ				
वस्तु सूची		5.1	-	-
वित्तीय परिसंपत्ति	निवेश	4.1	-	-
	व्यापार प्राप्य	4.3	-	-
	नकद एवं नकद समतुल्य	4.4	1,851.52	1,396.05
	अन्य बैंक शेष	4.5	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	2,480.70	2,458.38
चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		11.1	67.78	209.99
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		6.2	94.79	257.47
कुल चालू परिसंपत्तियाँ			**4,494.79**	**4,321.89**
कुल परिसंपत्तियाँ			**4,495.40**	**4,322.65**
इक्विटी एवं देयताएँ				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	3,510.00	3,510.00
अन्य इक्विटी		7.2	789.59	663.17
कंपनी के इक्विटीधारकों को दी जाने वाली इक्विटी			4,299.59	4,173.17
गैर नियंत्रित ब्याज		7.3	-	-
कुल इक्विटी			**4,299.59**	**4,173.17**
देयताएँ				
गैर-चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	ऋण	8.1	-	-
	पट्टा देयताएं	8.2	-	-

	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	-	-
प्रावधान		9.1	-	-
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		11.2	-	-
अन्य गैर-चालू देयताएं		10.1	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ			-	-
चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	ऋण	8.1	-	-
	पट्टा देयताएं	8.2	-	-
	व्यापार देय	8.3		
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	195.51	149.06
अन्य चालू देयताएँ		10.2	0.30	0.42
प्रावधान		9.1	-	-
अन्य चालू देयताएं		11.1	-	-
कुल चालू देयताएँ			**195.81**	**149.48**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ			**4,495.40**	**4,322.65**

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एस टी आर एल एंड एसोसिएट एल एल पी के और ओर से
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए संदीप कुमार टीबेरवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 302197)
फर्म पंजीकरण संख्या - 015354सी

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 13.04.2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

लाभ और हानि का विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन से राजस्व			
विक्रय	12.1	-	-
अन्य प्रचालन राजस्व	12.1	-	-
प्रचालन से राजस्व		-	-
अन्य आय	12.2	216.11	61.37
कुल आय		216.11	61.37
व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद	13.1(a)	-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	32.56	27.08
वित्त लागत	13.4	10.92	6.61
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय	13.5	0.15	0.15
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	-	-
संविदागत व्यय	13.7	-	-
अन्य व्यय	13.8	3.55	3.55
कुल व्यय		47.17	37.40
संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/हानि		168.94	23.97
संयुक्त उद्यम के शेयर लाभ/ हानि		-	-
कर पूर्व लाभ		168.94	23.97
कर व्यय	14.1		
चालू कर		42.52	6.03
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		42.52	6.03
अवधि के लिए लाभ		126.42	17.93
अन्य व्यापक आय	15.1		
मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)		126.42	17.93
लाभ का कारण: :			
कंपनी के स्वामित्व		126.42	17.93
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		126.42	17.93

अन्य व्यापक आय के कारण :		
कंपनी के स्वामित्व	-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
	-	-
कुल व्यापक आय के कारण :		
कंपनी के स्वामित्व	126.42	17.93
गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
	126.42	17.93
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक): (वित्त वर्ष और पिछली अवधि के लिए पुनः घोषित)		
मौलिक	0.36	0.05
मंदित	0.36	0.05

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एस टी आर एल एंड एसोसिएट एल एल पी के और ओर से
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए संदीप कुमार टीबेरवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 302197)
फर्म पंजीकरण संख्या - 015354सी

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 13.04.2024

नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ in lakhs)

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर देने से पूर्व लाभ		168.94	23.97
निम्न के लिए समायोजन :			
संयुक्त उद्यम का हिस्सा		-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		0.15	0.15
ब्याज और लाभांश आय		(104.32)	(61.37)
वित्त लागत		10.92	6.61
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि		-	-
देयता और प्रावधान प्रतिलेख (शुद्ध)		-	-
व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता		-	-
अन्य भत्ते और बट्टे खाते में डालना		-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता		-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		75.69	(30.64)
निम्न के लिए समायोजन :			
व्यापर प्राप्य		-	-
वस्तु-सूची		-	-
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां		162.68	(24.29)
वित्तीय एवं अन्य देयताएं		46.34	33.16
व्यापार देनदारियां		-	-
संचालन से उत्पन्न नकद		284.70	(21.77)
आयकर (भुगतान किया गया)		99.69	10.21
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	**(A)**	**384.40**	**(11.56)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		0.00	0.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री आय		-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में वृद्धि		-	-
बैंक जमा में आय/(निवेश)		-	-
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में आय/(निवेश)		-	-
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-

निवेश से ब्याज		82.00	61.37
म्यूचुअल फंड से प्राप्त ब्याज/लाभांश		-	-
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश			
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**(B)**	**82.00**	**61.37**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर-वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(चुकाने)		-	-
वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(चुकाने)			
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		-	-
भुगतान किया गया ब्याज		(10.92)	(6.61)
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**(C)**	**(10.92)**	**(6.61)**
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	**(A+B+C)**	455.47	43.20
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		1,396.05	1,352.85
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य		1,851.52	1,396.05
नकदी और नकदी समकक्षों का समाधान (नोट 4.4 देखें)			
नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद शुद्ध)		1,851.52	1,396.05
नकदी और नकदी समकक्ष के घटक			
(क) बैंकों के पास शेष राशि			
- जमा खातों में		1,848.14	1,392.94
- चालू खातों में		3.38	3.11
- ब्याज देने वाले (सीएलटीडी खाता आदि)			
- ब्याज न देने वाले			
- नकद ऋण खातों में			
(ख) भारत के बाहर बैंक बैलेंस		-	-
(ग) प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी		-	-
(घ) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प		-	-
(ड़) हाथ में नकदी		-	-
(च) भारत के बाहर हाथ में नकदी		-	-
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट		-	-
(ज) अन्य ई-खरीद खाता/जीईएम खाता/अग्रिम शेष		-	-
कुल (नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें)		**1,851.52**	**1,396.05**

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	**गैर-वर्तमान उधार***	**वित्त पट्टा देयताएं**	**वर्तमान उधार**
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि		-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह		-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			-
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण			
उधार पर ब्याज			
विनिमय दरों में भिन्नता			
उधार पर लेन-देन लागत			
31 मार्च 2024 तक समापन शेष		-	-

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	**गैर-वर्तमान उधार***	**वित्त पट्टा देयताएं**	**वर्तमान उधार**
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष राशि			-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2023 तक समापन शेष	-	-	-

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एस टी आर एल एंड एसोसिएट एल एल पी के और ओर से
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए संदीप कुमार टीबेरवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 302197)
फर्म पंजीकरण संख्या - 015354सी

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 13.04.2024

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ लाख में)

31.03.2024 तक

विवरण	**1/4/2023 तक शेष**	**वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्त**	**310.3.2024 तक शेष**
प्रत्येक ₹ 10/- के 35100000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	3,510.00		3,510.00
31.03.2023 तक			
विवरण	**1/4/2022 तक शेष**	**वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**31.3.2023 तक शेष**
प्रत्येक ₹ 10/- के 35100000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	3,510.00		3,510.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	**आरक्षित और अधिशेष**				**किसी विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय संबंधी मतभेद (ओसीआई)**	**कुल**
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	**सामान्य रिजर्व**	**प्रतिधारित आय**	**(ओसीआई) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) -**		
01.04.2023 तक शेष	-	-	663.17	-	-	663.17
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की लुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	663.17	-	-	663.17
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	126.42	-		126.42
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-		-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-		-
शेयरों की पुनः खरीद	-	-	-	-		-
बायबैक पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-		-
31.03.2024 तक शेष	-	-	**789.59**	-	-	**789.59**

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				किसी विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय संबंधी मतभेद (ओसीआई)	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	(ओसीआई) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) -		
01.04.2022 तक शेष	-	-	645.23	-	-	645.23
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2022 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	645.23	-	-	645.23
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			17.94	-		17.94
अन्तरिम लाभांश			-			-
अंतिम लाभांश			-			-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण		-	-			-
शेयरों की पुनः खरीद						-
बायबैक पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना						-
31.03.2023 को शेष	-	-	**663.17**	-	-	**663.17**

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एस टी आर एल एंड एसोसिएट एल एल पी के और ओर से
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए संदीप कुमार टीबेरवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 302197)
फर्म पंजीकरण संख्या - 015354सी

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 13.04.2024

वित्तीय विवरण से संबंधित टिप्पणी

टिप्पणी :1

A. निगम से संबंधित(कॉरपोरेट) जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा तलाबीरा –II और III कोल ब्लॉक का निर्णय किया गया, जिसके तहत 20 एमटीवाई की बुनियादी क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खनन कार्य किया जा सके। इसके लिए एमसीएल, एनएलसी और हिंडाल्को के बीच क्रमश: 70:15:15 के अनुपात के शेयर स्वामित्व के साथ एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया, जिसे दिनांक 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एवं पंजीकृत किया गया।

B. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों(जिसे आगे भारतीय लेखा मानक कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी(भारतीय लेखा मानक) नियम,2015(संशोधित) द्वारा अधिसूचित किया गया है, साथ ही कंपनी अधिनियम,2013("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पढा गया है । वित्तीय विवरण अधिकृत होने तक भारतीय लेखा मानक को जारी, अधिसूचित और प्रभावी बनाया गया है और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उन पर विचार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है।

नोट 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधन लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ में मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत सम्मेलन आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होता है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह संचालित होती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं तक 'लाखों रुपये' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 सहायक कंपनियाँ

(i) सहायक संस्थाएँ वे संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण होता है और नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह उजागर होता है या उसके पास निवेशिती के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और उसके माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है:

(अ) निवेशिती पर अधिकार

(ब) निवेशिती के साथ इसकी भागीदारी से परिवर्तनीय मुनाफा की जानकारी या अधिकार

(स) अपने रिटर्न को प्रभावित करने के लिए निवेशिती पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता

सहायक कंपनियों पर नियंत्रण प्राप्त होने की तिथि से सहायक कंपनियों को समेकित किया जाता है और नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से उन्हें बंद कर दिया जाता है।

ii समूह संबंधित वित्तीय विवरणों के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों, राजस्व और व्यय की समान वस्तुओं के अंकित मूल्य को एक साथ जोड़कर लाइन-दर-लाइन समेकन के आधार पर होल्डिंग और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को जोड़ता है। समूह के अंर्तगत संतुलन, समूह के अर्तगत लेनदेन और समूह के अंर्तगत लेनदेन से उत्पन्न शेयरों पर अप्राप्त लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

iii समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान सामग्री लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, अन्यथा जैसा कि अन्यत्र बताया गया है।

iv. सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध संपत्ति पर सहायक कंपनियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को जैसा भी मामला हो,समेकित वित्तीय विवरणों में सद्भावना या पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। उक्त सद्भावना का परिशोधन नहीं किया

जाता है, तथापि, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर हानि के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, और हानि हानि, यदि कोई हो, को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

v. वर्ष के लिए सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ में गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और होल्डिंग कंपनी के मालिकों के कारण शुद्ध राजस्व पर पहुंचने के लिए समूह के राजस्व के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। गैर-नियंत्रित ब्याज पर वर्ष के लिए हानि की अधिकता को मालिक के हित में समायोजित किया जाता है।

vi. सहायक कंपनियों की शुद्ध संपत्ति में गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और शेयर से अलग समेकित बैलेंस शीट में प्रस्तुत की जाती है।

vii. किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, उसे शेयर लेनदेन के रूप में माना जाता है।

viii यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि और शेयर में दर्ज संचयी परिवर्तन अंतर को अमान्य कर देता है। पूर्व सहायक कंपनी में रखे गए किसी भी ब्याज को नियंत्रण खोने की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

व्यापारिक संयोग एवं सद्भावना

समूह, समूह संस्थाओं के संयोजन को छोड़कर, जो सामान्य नियंत्रण में हैं, व्यावसायिक संयोजनों के लिए लेखांकन में अधिग्रहण पद्धति लागू करता है। किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित किए गए विचार की गणना अधिग्रहण-तिथि के हस्तांतरित परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों, देनदारियों और समूह द्वारा जारी किए गए शेयर हितों के योग के रूप में की जाती है, जिसमें उत्पन्न होने वाली किसी भी संपत्ति या देयता का उचित मूल्य शामिल होता है। अधिग्रहण की लागत खर्च के अनुसार खर्च की जाती है। अर्जित संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को आम तौर पर उनकी अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

नियंत्रण में संस्थाओं के संयोजन के मामले में, व्यापार संयोजन को ब्याज की पूलिंग विधि के तहत ध्यान में रखा जाता है, जिसके तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों को अग्रणी राशि पर संयोजित किया जाता है और उनके उचित मूल्यों को परावर्तित करने या किसी नई संपत्ति या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद,व्यापार सद्भावना को किसी भी संचित हानि हानि को घटाकर लागत पर मापा जाता है। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित सद्भावना को संयोजन तिथि से, समूह की प्रत्येक नकदी उत्पादक इकाइयों को आवंटित की जाती है, जिनसे संयोजन से लाभ होने की उम्मीद होती है, भले ही उन इकाइयों को अन्य परिसंपत्तियों या देयताएँ या अधिग्रहण आवंटित किए गए हों ।

2.2.2 सहयोगी

एसोसिएट्स वे सभी संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आम तौर पर ऐसा मामला है जहां कंपनी के पास 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार होते हैं।

सहयोगियों में निवेश को शुरू में लागत पर स्वीकृत के बाद, लेखांकन की शेयर पद्धति का उपयोग करके लेखांकन किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके एक हिस्से को बिक्री के लिए रखा गया हो, उस स्थिति में इसका हिसाब भारतीय लेखांकन 105 के अनुसार किया जाता है

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्थाएँ वे व्यवस्थाएँ हैं जहाँ समूह का एक या अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण, व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक रूप से सहमत है जो तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्थाओं को या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

2.2. 4 संयुक्त अभियान

एक संयुक्त संचालन एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत जिन पार्टियों के पास व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है, उनके पास व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियों के अधिकार और देनदारियों के लिए दायित्व होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक

रूप से सहमत है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या खर्च की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों में अपने हिस्से को मान्यता देता है। इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में समान मदों के साथ या अन्यथा खातों के उपयुक्त शीर्षों के तहत लाइन-दर-लाइन आधार पर वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

i) संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यमों में हितों को शुरू में लागत पर स्वीकृत किया जाता है और उसके बाद शेयर पद्धति का उपयोग करके हिसाब लगाया जाता है।

ii) संयुक्त उद्यम में निवेश को शुरू में लागत पर स्वीकृत किये जाने के बाद, लेखांकन की शेयर पद्धति का उपयोग करके लेखांकन किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके एक हिस्से को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उस स्थिति में इसका हिसाब लेखांकन 105 के अनुसार किया जाता है।

iii) समूह लक्ष्य साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को कम करता है, जब किसी संयुक्त उद्यम में समूह के घाटे का हिस्सा उसके निवेश के बराबर या उससे अधिक होता है, जिसमें अन्य कोई असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य शामिल है तो समूह तबतक और अधिक हानि को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने संयुक्त उद्यम की ओर से दायित्व नहीं लिया हो या भुगतान नहीं किया हो

iv) समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक हानि भी इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाती है, जब तक कि लेनदेन हस्तांतरित संपत्ति की हानि का सबूत प्रदान नहीं करता है।

जहां संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियां समूह से भिन्न होती हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और कार्यक्रम(स्थिति) के लिए उचित समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त उद्यम में कम हिस्सेदारी पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि, लेकिन फिर भी संयुक्त नियंत्रण बरकरार रखते हुए, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

vi) जब निवेश एक संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है और बरकरार रखा गया ब्याज एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो समूह लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर बरकरार ब्याज को मापता है। वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में बरकरार रखे गए ब्याज के लेखांकन के उद्देश्य से बनाए रखा ब्याज का उचित मूल्य प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत की गई कोई भी राशि लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती है।

2.2.6 शेयर विधि

लेखांकन की शेयर पद्धति के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर स्वीकृत किया जाता है और उसके बाद निवेशिती की शुद्ध संपत्ति के समूह के हिस्से में अधिग्रहण के बाद के बदलावों के लिए समायोजित किया जाता है। अधिग्रहण के बाद लाभकर्ता के नुकसान और निवेशिती की अन्य व्यापक आय में समूह की हिस्सेदारी समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब किसी शेयर-लेखांकित निवेश में समूह के घाटे का हिस्सा इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य राशियाँ भी शामिल हैं, तो समूह तब तक आगे के नुकसान को मान्यता नहीं है, जब तक कि उसने दायित्वों को वहन नहीं किया हो या उसकी ओर से भुगतान नहीं किया हो।

2.2.7 स्वामित्व हितों में परिवर्तन

समूह गैर-नियंत्रित हितों वाले लेनदेन करता है जिसके परिणामस्वरूप समूह के शेयर मालिकों के साथ लेनदेन के रूप में नियंत्रण की हानि होती है। स्वामित्व हित में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सहायक कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को परावर्तित करने के लिए नियंत्रित और गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि के बीच समायोजन होता है। गैर-नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त प्रतिफल के किसी भी उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर शेयर के भीतर पहचाना जाता है ।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण किसी निवेश के लिए समेकित या शेयर खाता बंद कर देता है, तो इकाई में किसी भी बनाए रखा गया ब्याज लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है। यह उचित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में रखे गए ब्याज के लिए बाद में लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि का हिसाब लगाया जाता है जैसे कि समूह ने संबंधित संपत्तियों या देनदारियों का सीधे निपटान किया हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से पहचानी गई रकम को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हित कम हो जाता है लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बरकरार रहता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशि का केवल आनुपातिक हिस्सा लाभ या हानि के लिए जहां उपयुक्त हो, पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू एवं गैर- चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में तब माना जाता है ,जब:

क) कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र में संपत्ति को संपादित करने का विचार रखता है, या इसे बेचने या उपभोग करने का विचार रखता है ।

ख) कंपनी मुख्य रुप से व्यापार के उद्देश्य के लिए संपत्ति रखता है ।

ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्तियां प्राप्त करता है; या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है(भारतीय लेखा मानक – 7 में परिभाषित के रुप में) जब तक कि परिसंपत्ति का आदान – प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या सूचना अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है । अन्य सभी संपत्तियाँ गैर वर्तमान में वर्गीकृत है ।

एक दायित्व को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब

(अ) कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र में दायित्व का निपटारा करने की अपेक्षा करता है ।

(आ) कंपनी मुख्य रुप से व्यापार के उद्देश्य के लिए उत्तरदायित्व रखता है ।

(इ) सूचना अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर दायित्व का निपटान किया जाना है ।

(ई) कंपनी के पास सूचित अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। एक दायित्व की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर देयता पर, शेयर लिखतों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिमाणित हो सकती है, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती है ।

अन्य सभी उत्तरदायित्व गैर वर्तमान वर्गीकृत हैं ।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से बारह महीने के रूप में अपने परिचालन चक्र का पता लगाया है।

2.4 राजस्व मान्यता

राजस्व मुख्यतः कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से होने वाले राजस्व की पहचान तब की जाती है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, और हानि के जोखिमों को बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग सबसे संभावित विधि का उपयोग करके, बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय विचार का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है। और राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह अत्यधिक संभावना है कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है क्योंकि बिक्री अनुबंध के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व को चालान के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से विचार करने का अधिकार सीधे तौर पर हमारे आज तक किए गए प्रदर्शन से मेल खाता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी तथा यह निश्चित हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की समन्वायोजन करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति को व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि को विवरणारुप में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य होते है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान का सीधा संबंध "संपत्ति कोष" से है जिसे मान्यता प्राप्त है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.6 पट्टे

यदि अनुबंध क्षतिपूर्ति के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है तो संविदा एक पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है ।

2.6.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध की शुरुआत में अनुबंध में पट्टा है या नहीं। एक अनुबंध है, या इसमें शामिल है, एक पट्टा यदि अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार बताता है, कंपनी यह आकलन करती है कि: (i) अनुबंध में एक पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है, (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति के उपयोग से काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है –

प्रारंभन तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति (राइट-टू-यूज़ एसेट) और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जिसका उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम की या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात् राइट-टू-यूज़ एसेट को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को, पट्टा देयता में ब्याज दर्शाने के लिए बढ़ती वहन राशि, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाकर, किसी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि के पुनर्मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है।

पट्टे की देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधन लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके। पट्टा देनदारियों को उपयोग संपत्ति के संबंधित अधिकार के लिए एक संबंधित समायोजन के साथ पूर्वनिर्धारित किया जाता है यदि कंपनी अपना मूल्यांकन बदलती है यदि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी। पट्टा देयता और आरओयू एसेट को बैलेंस शीट में अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देनदारियों" के तहत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि संपत्ति के उपयोग के अधिकार की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद के विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.6.2 पट्टेदार के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियां पट्टे पर या तो वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में दी जाती हैं।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित संपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे की अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।

ऑपरेटिंग लीज: एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, एक ऑपरेटिंग पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टों पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में पट्टे के भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं उसे बिक्री हेतु आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है।
- एक क्रेता का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य आकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है, और
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

बिक्री के लिए रखे गए गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि के निचले स्तर पर मापा जाता है और बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) तथा मूल्य में ह्रास

पीपीई की एक वस्तु को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें जहां भी आवश्यक हो, डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो भूमि के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित होते हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को किए गए रोजगार के बदले में मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था ।

(घ) अर्हक आस्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधारों पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत

किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के एक मद को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण के ऐसे अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है। फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :

(पट्टेकृत भूमि सहित) अन्य भूमि	-	**परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो**
भवन(रास्ते सहित)	-	3-60 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	1-40 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-5 वर्ष
फर्नीचर व फिक्स्चर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए आस्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, संपत्ति की कुछ मदों जैसे अन्य भूमि, साइट बहाली संपत्ति, अन्य खनन बुनियादी ढांचे, सर्वेक्षण की गई परिसंपत्तियों को छोड़कर। तकनीकी रूप से उपयोगी जीवन अवधि एक वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोइंग पाइपों और सुरक्षा लैम्पों आदि जैसी मदों के लिए शून्य अवशिष्ट मूल्य है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, जोड़ने/निपटाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो, के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से मूल्यह्रास संपत्ति, सक्रिय उपयोग के लिए अनुपयुक्त, संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से प्रकट की जाती है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच

के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापे गए भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तारीख को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने हेतु चयन किया है

2.9 खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसनिंग बाध्यताएँ –

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य के आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

खान बंदी के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल खनन बंदी के प्रगामी खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित आस्तियां में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- समन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार और वित्त अध्ययन का आयोजन ;

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री और ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन आस्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा आस्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण

एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना को परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है । लागत में परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष व्यय शामिल होता है । प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपतियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर रखा जाता है ।

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभव होता है कि खर्च की गई लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आकलन जा सकती है।

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर मान्यता रद्द कर दी जाती है या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति को मान्यता प्राप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के लिये मूल्यांकित किया जाता है।

सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

अनुसंधान पर व्यय को जब कभी किया जाता है, व्यय पर प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को मज़बूती से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी का इरादा है कि विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय संपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकद

प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकद-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पन्न करनेवाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.14 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) उत्पादन में उपयोग करने या वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए या व्यवसायों के सामान्य क्रम में विक्रय के बजाय किराये अर्जन या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए है, जिसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में संबंधित लेनदेन लागत सहित इसकी लागत पर, और जहां उधार लागत लागू हो, के अनुसार मापा जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी- रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन में कोई भी अनुबंध जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन वृद्धि करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से लेनदेन लागत सहित उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, ऐसा वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालांकि, व्यापार प्राप्य जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपतियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋणसाधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन(एफ़वीटीपीएल)।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत परिशोधित लागत पर ऋण साधन मापे जाते हैं।

क) परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अंतर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी प्रवाह का संग्रह करना है और

ख) परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद, प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। कमी के कारण हुई हानियों को लाभ व हानि में स्वीकार किया गया है।

2.15.1.2.2. एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पीएंडएल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पीएंडएल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट कोई आईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.1.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट :

डेब्ट इंस्ट्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड (जिसे 'बेमेल लेखांकन' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर पीएंडएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.1.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में शेयर निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि परिवर्तन(ट्रांजिशन) की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.1.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी(शेयर) निवेश लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी उचित मूल्य के बाद में अन्य व्यापक आय में परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को इंस्ट्रूमेंट बाय-इंस्ट्रूमेंट आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

एफवीटीओसीआई (FVTOCI) में वर्गीकृत इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के सभी उचित मूल्य परिवर्तन को ओसीआई(OCI) में मान्यता दी जाती हैं। लाभ और हानि के विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है । इस तरह के निवेश से लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

एफवीटीओसीआई (FVTPL) श्रेणी के भीतर शामिल इक्विटी उपकरणों को लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.3 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलनपत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को अंतरित कर दिया है या एक 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है या तो :
  (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक अंतरित कर दिया है या

(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को अंतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.1.4 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि, जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखांकन मानक 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया:-

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के आधार पर इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही हानि भत्ता को मान्यता देता है।

2.15.2 वित्तीय देयताएँ

2.15.2.1 आरंभिक पहचान तथा माप

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य प्राप्य, ऋण और उधारसहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.15.2.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.2.2.1 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है,जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। व्यापार के लिए आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। पृथक्कृत एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

2.15.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

2.15.2.3 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द की जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का हिस्सा) की वहन राशि (या वित्तीय देयता का हिस्सा) को किसी अन्य पार्टी को स्थानांतरित या हस्तांतरित की गई राशि और भुगतान किए गए विचार के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.15.2.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन अक्सर होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी दलों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में एक बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो एक गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी किसी भी पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुन: प्रस्तुत नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं:-

वास्तविक वर्गीकरण	**संशोधित वर्गीकरण**	**लेखांकन विधि**
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पीएंडएल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पीएंडएल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.2.5 वित्तीय साधनों की भारपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और समेकित बैलेंस शीट में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा है, तो परिसंपत्तियों की वसूली करने और देनदारियों का एक साथ निपटान करने का इरादा है, तो समेकित बैलेंस शीट में शुद्ध राशि की रिपोर्ट की जाती है ।

2.15.2.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगा या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो इस तरह के माप के लिए नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता पर निर्भर करती है:

(अ) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।

(आ) स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो संपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।

(इ) स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के माप के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख करने की समग्र जिम्मेदारी है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.15.3 नकद और समतुल्य नकद

तुलनपत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, शामिल हैं।

2.16 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.17 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से अस्थाई अंतर उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत नहीं होगा। इस तरह के निवेश और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर संपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे इस हद तक कम कर दिया गया है कि यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर संपत्ति और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं या तो कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने का इरादा होता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पावधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) हैं जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने बाद पूरी तरह से तय होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2. रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं :

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे कम भी किया जा सकता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियों के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनःमाप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओँ में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभ के अलावा सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे आइटम शामिल हैं जिन्हें वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध कुल लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है:

(क) सेवा लागत ।

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज ।

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) का पुन: माप

2.19 विदेशी मुद्रा

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि

कोयले तक पहुंचने के लिए ओवरबर्डन को हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुंच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और एक ओपनकास्ट खदान के पूरे जीवन में होता है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में अन्य खनन बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अलग-अलग खानों के लिए स्ट्रिपिंग लागत का हिसाब अलग से लगाया जाता है।

कंपनी स्ट्रिपिंग गतिविधियों के लिए निम्नानुसार जिम्मेदार है:

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत

ये निकाले जाने वाले कोयले तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किए गए प्रारंभिक ओवरबर्डन हटाने की लागत हैं। इन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव होता है कि भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। एक बार उत्पादन चरण शुरू होने के बाद, पूंजीकृत विकास स्ट्रिपिंग लागत खदान के जीवन पर परिशोधित हो जाती है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत:

ये ओवरबर्डन हटाने की लागत है जो कंपनी की नीति के अनुसार खान को राजस्व में लाने के बाद की गई है । उत्पादन चरण के दौरान लागत को अलग करने से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और कोयले तक बेहतर पहुंच जो भविष्य की अवधि में निकाली जाएगी । उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के बीच एक मानक पट्टी अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोयला) का उपयोग करके आवंटित किया जाता है । मानक पट्टी अनुपात खान के जीवन पर निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले खदान के जीवन पर हटाए जाने वाले ओवरबर्डन

की कुल मात्रा है । जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के लिए पूंजीकृत किया जाता है । स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति खदान के जीवन पर परिशोधन है । भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन का मानक पट्टी अनुपात पर प्रभाव पड़ सकता है। अनुपात में परिवर्तन को भावी रूप से हिसाब दिया जाता है । स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत अलग से शामिल किया गया है ।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खदानों में उत्पादन चरण के दौरान लागत को अलग करने के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देती है ।

2.21 वस्तु –सूची

2.21.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना भारित औसत पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापा स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां भिन्नता +/- 5% से अधिक होती है, मापा स्टॉक माना जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का एक हिस्सा माना जाता है।

कोयला, कोक फाइन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार, पुर्जे और अन्य वस्तुएँ

अन्य सूची सहित भंडार और अतरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है ।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का आउटफ़्लो होना आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

आकस्मिक संपत्ति संभावित संपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है । आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है । इनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित हो।

2.23 प्रति शेयर आय

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24 अनुपात प्रसरण

अनुपात भिन्नता रिजर्व की मान्यता में सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से ही स्थापित नीति का लगातार पालन किया है । इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है

जब भी प्रावधान/परिसंपत्तियों के प्रत्यावर्तन की स्थिति उत्पन्न होगी, अनुपात आरक्षित निधि की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा । ऐसा उत्क्रमण उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/परिसंपत्ति को मान्यता दी गई है।

एक खान के मामले में, जहां अनुपात भिन्नता रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवरबर्डन की मात्रा पर निकाले गए ओवरबर्डन की एक अतिरिक्त मात्रा को स्ट्रिपिंग गतिविधि की शुरुआती औसत दर से गुणा किया जाता है, जिसे अनुपात भिन्नता रिजर्व के लिए संबंधित डेबिट के साथ लाभ और हानि के बयान में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

जहां अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा मानक पट्टी अनुपात से गुणा किए गए कोयले की मात्रा है, जहां मानक पट्टी अनुपात खान जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल कोयले से विभाजित खान जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल ओवरबर्डन है।

2.25 निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और धारणाएं जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करती हैं, वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि । जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों वाली लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है । लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं । अनुमानों और अंतनहित पूर्वानुमानों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और, यदि सामग्री होती है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है।

2.25.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.25.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिस पर वे लागू होते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क) उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख) वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता

I) कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

Ii) न कि केवल कानूनी रूप को दर्शाती है वरन लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को दर्शाती है

Iii) तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. मितव्ययी, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. ढांचे में संपत्ति, देयताऐं, आय तथा व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.25.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखा मानक उन मदों पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने में विवेक का उपयोग करता है कि वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत मदें या मदों के समूह महत्वपूर्ण हैं या नहीं। महत्वपूर्णता का आकलन मदों की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी सूचना को छोड़ना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के संयोजन में उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्णता के विवेक का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से गैर-महत्वपूर्ण मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है। 01.04.2019 से प्रभावी, पिछली अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियों/चूक को गैर-महत्वपूर्ण माना जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियाँ और चूक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.25.1.3 परिचालन पट्टा –

कंपनी ने पट्टा समझौता किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.25.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों के आधार पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे बदलाव जब घटित होते हैं तब मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतनहित पूर्वानुमानों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित होता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों के आवेदन के लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है, जिनका खुलासा यहां नीचे किया गया है:

2.25.2.1 गैरवित्तीय सम्पत्तियों की हानि

अगर किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो यह हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया

जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.25.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.25.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

पारिभाषित लाभ, ग्रेच्युटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन के लिए सबसे अधिक विषयगत पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बांड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

2.25.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार विकास के तहत एक परियोजना के लिए अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.23.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्लिंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुनर्स्थापना तथा डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु छूट दरों के संबंध में अनुमान लगाए जाते हैं, साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी निम्नलिखित अनुमानों के आधार पर डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके परियोजना / खदान के जीवन पर विचार करते हुए प्रावधान का आंकलन करती है।

- अनुमानित लागत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर (प्रति कर दर) जो कि समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.26 प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर:

a	सीजीयू	नकद उत्पाद इकाई	l	इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(इसीएल)
b	डीसीएफ़	रियायती नकद प्रवाह	m	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड(बीसीसीएल)
c	एफ़वीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	n	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
d	एफ़वीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	o	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(एसईसीएल
e	जीएएपी	समान्यतः स्वीकृत मूलधन	p	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(एमसीएल)
f	भा.ले.मा.	भारतीय लेखा मानक	q	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
g	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	r	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल
h	पी एंड एल	लाभ और हानि	s	सेंट्रल खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड
i	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	t	नार्दन इस्टर्न कोलफील्ड्स
j	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज भुगतान	u	इंडियन इंस्टीटयूट कोल मैनेजमेंट
k	इआईआर	प्रभावी ब्याज दर	v.	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-3.1: संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन आधार संरचना	स्ट्रिपिंग एक्टिविटी परिसंपत्तियाँ (एसएए)8	सर्वे ऑफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:																
01.04.2022 के अनुसार						5.80		-					-			5.80
परिवर्धन																-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-		-	-	-	5.80
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.80		-	-	-	-		-	-	-	5.80
परिवर्धन																-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-		-	-	-	5.80
संचित मूल्यह्रास और हानि																
01.04.2022 के अनुसार						4.89		-								4.89
वर्ष के लिए प्रभार						0.15		-								0.15
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.04	-	-	-	-	-		-	-	-	5.04

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन आधार संरचना	स्ट्रिपिंग एक्टिविटी परिसंपत्तियाँ (एसएए)8	सर्वे ऑफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.04	-	-	-	-	-		-	-	-	5.04
वर्ष के लिए प्रभार						0.15		-								0.15
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.19	-	-	-	-	-		-	-	-	5.19
संचित हानि																
01.04.2022 के अनुसार																-
वर्ष के लिए प्रभार																-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार																-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि																
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	0.61	-	-	-	-	-		-	-	-	0.61
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	0.76	-	-	-	-	-		-	-	-	0.76

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-3.2: पूँजीगत कार्य प्रगति

(₹ लाख में)

	भवन (जल-आपूर्ति, सड़क और कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य अवसंरचना/ विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरीडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
01.04.2022 के अनुसार				-				
परिवर्धन				-				
पूंजीकरण/विलोपन								
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-				
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-				
परिवर्धन				-				
पूंजीकरण/विलोपन								
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि								
01.04.2022 के अनुसार								-
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन/ समायोजन								-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन/ समायोजन								-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3.3 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2022 के अनुसार	
योग	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/ विलोपन	
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-
योग	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/ विलोपन	
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-
संचित हानि	
01.04.2022 के अनुसार	
वर्ष के लिए प्रभार	
विलोपन/ समायोजन	
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	
विलोपन/ समायोजन	
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि: :					
01.04.2022 के अनुसार					-
योग					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
योग			-		-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
संचित परिशोधन					
01.04.2022 के अनुसार					-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
संचित हानि					
01.04.2022 के अनुसार					-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-		-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3.5: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	विकास के तहत ईआरपी	रेल कॉरिडोर विकासधीन	कुल
वहन राशि:			
01.04.2022 के अनुसार	-		-
योग	-		-
पूंजीकरण/विलोपन	-		-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-
योग		-	-
पूंजीकरण/विलोपन		-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
संचित परिशोधन			
01.04.2022 के अनुसार	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-
01अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-
विलोपन/ समायोजन			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
शुद्ध वहन राशि			
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 4.1 : निवेश

(₹ लाख में)

	होल्डिंग का %	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू निवेश			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)		-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)		-	-
कुल		-	-

चालू			31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
म्यूचुअल फंड (अउद्धृत)	इकाइयां	एनएवी (₹)		
अन्य				
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)			-	-
कुल			-	-

4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर-चालू		चालू	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि::	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-	-	-

टिप्पणी- 4.2 : ऋण

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
- क्रेडिट हानि	-	
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	
		-
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
- क्रेडिट हानि	-	
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

चालू	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता 4.2.1	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

टिप्पणी 4.3 : व्यापार से प्राप्य	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
	-	-
घटाएँ : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता4.3.1	-	
कुल	-	-

4.3.1 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के क्रेडिट घाटे के लिए भत्ता निर्धारण करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता देय प्राप्तियों की कार्य अवधि और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

7. व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
विवरण	बगैर बिल बकाया	6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

31.03.2023 तक

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
विवरण	बगैर बिल बकाया	6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

टिप्पणी : 4.4 : नगद एवं नगद समकक्ष	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
बैंक के साथ शेष		
-जमा खातों में	1,848.14	1,392.94
- चालू खाते में	3.38	3.11
भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
प्राथमिक डीलरों के पास ICD4.4.1	-	-
चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प हाथ में	-	-
नकदी हाथ में	-	-
भारत के बाहर नकदी हाथ में	-	-
अन्य 4.4.2	-	
कुल	1,851.52	1,396.05

4.1 नकद और नकद समतुल्य में बैंक और पास में नकद स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

टिप्पणी - 4.5 : अन्य बैंक शेष	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंकों के साथ शेष		

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

जमा	-	
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 4.5.1)	-	
कुल	-	-

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/चिह्नित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए रखी हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए और बैंक में जमा राशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है,शामिल हैं। - नोट 16 का पैरा 4(डी) देखें।

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा	-	
घटाएँ : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाराशि	-	
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमाराशि4.6.2	-	
	-	-
वित्त पट्टा प्राप्य4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य4.6.5	.	-
घटाएँ: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1	-	
	-	-
कुल	-	-

चालू	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
सुरक्षा जमा	-	-
घटाएँ : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
मुख्यालय, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष	-	
घटाएँ: सहायक कंपनियों के साथ संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अर्जित ब्याज	67.21	44.89
वित्त पट्टा प्राप्य5	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	2,413.49	2,413.49
घटाएँ: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	2,413.49	2,413.49
कुल	**2,480.70**	**2,458.38**

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

4.6.2 खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा राशि

खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक एस्क्रो खाता खोला गया है। एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि का 50% तक दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 9.1 देखें)।

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस के बाद शुद्ध)		
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि		
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	-	-

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i)पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में चिन्हित प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	-	-

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

परिचालन लीज़

(iii) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय लीज़ भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है	-	-
कुल	-	-

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

(v) 30.06.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

टिप्पणी - 5.1 : इन्वेंटरी	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कोयला (तैयार माल)	-	
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
भंडार, पुर्जे और अन्य मालसूची (शुद्ध) 5.1.3	-	-
घटाएँ: धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलने वाली और अप्रचलित मालसूची के लिए प्रावधान		
	-	-
कुल	-	-
5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में बदलाव का ब्यौरा		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.2 स्टोर और स्पेयर की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, अचल और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। इन वस्तुओं के लिए कंपनी की नीति के अनुसार प्रावधानों को मान्यता दी जाती है।

धीमी गति से चलने वाले,अचल और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधानों में संचालन का विवरण:

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		
अवधि के दौरान उपयोग की गई		
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1	-	
	-	-
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाएँ : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता6.1.1	-	
खदान बंद करने पर होने वाला प्रगामी व्यय 6.1.2	-	
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	-	-

6.1.1 खराब और संदिग्ध जमा और प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में संचलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

6.1.2 उपर्युक्त व्यय, खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	
घटाएँ: संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता6.2.1	-	
	-	-
अन्य जमा और अग्रिम6.2.2 और 6.2.3	94.79	257.47
घटाएँ: संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता6.2.1	-	
	94.79	257.47
प्रगतिशील खदान बंद होने पर हुए व्यय 6.1.2	-	
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य 6.2.4	-	
कुल	94.79	257.47

अन्य अग्रिम एवं जमा से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए विरोध स्वरूप जमा किया गया आयकर 4.79 लाख रुपये से है।

6.2.1 खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों तथा जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

नोट - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी		
35100000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए	3,510.00	3,510.00
(पिछला वर्ष .35100000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए)		
कुल	3,510.00	3,510.00

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

7.1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में रखे गए शेयर					
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	24570000	70	0	70	0
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	5265000	15	0	15	0
एनएलसी इंडिया लिमिटेड	5265000	15	0.000	15	0.00%

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान समाधान:- (रु. लाख में)		
विवरण	Number of Share	Amount
31.03.2019 को शेष राशि	3,51,00,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष राशि	3,51,00,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष राशि	3,51,00,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन		
31.03.2022 को शेष राशि	3,51,00,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	3,51,00,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	3,51,00,000	3,510.00

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-
प्रतिधारित आय	789.59	663.17
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	789.59	663.17

(क) पूंजी मोचन रिजर्व	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान जोड़	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पूंजी मोचन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	**राशि (₹ लाख में)**	**वर्ष**
इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद		
कुल	0	

(ख) पूंजी रिजर्व	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(ग) सामान्य रिजर्व	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
सामान्य रिज़र्व में/से स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

सामान्य रिज़र्व एक मुक्त रिज़र्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित आय	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	663.17	645.23
अवधि के लिए लाभ	126.42	17.94
अंतरिम लाभांश	-	
अंतिम लाभांश	-	
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	789.59	663.17

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा(i)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
कुल (घ(i) + (ii))	**789.59**	**663.17**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) (कर के बाद शुद्ध)शामिल है
(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का अब तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की गई है।

(ड़) अन्य व्यापक आय की मदें
(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बाह्य परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

टिप्पणी - 8.1 : उधार	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से 8.1.1 और 8.1.2		
सुरक्षित	-	

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

असुरक्षित	-	-
अन्य से8.1.3		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
	-	-

चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता 8.1.1	-	-
	-	-

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर - चालू	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि		
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत		
पट्टा देनदारियों का भुगतान		
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	
पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और चालू):

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
1 वर्ष तक		
1-5 वर्ष		
5 वर्ष से अधिक		

8.2.2 30.09.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि					
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

दूरसंचार रेलवे साइडिंग रेल कॉरिडोर अमूर्त संपत्ति					

31.03.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण फ़र्निचर व फिक्सचर वाहनें कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार रेलवे साइडिंग रेल कॉरिडोर अमूर्त संपत्ति					

पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि जब तक कंपनी के पास संपत्ति को किसी अन्य पक्ष को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	**31.03.2023 को**	**31.03.2023 को**
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	-	-

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह का खुलासा

विवरण	**31.03.2023 को**	**31.03.2023 को**
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		
	-	-

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-
कुल	-	-

8.3.1 व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई					-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

31.03.2023 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाता	181.37	139.76
सुरक्षा खाता	0.70	0.70
बयाना राशि	1.01	1.01
पूंजीगत व्यय के लिए देय	-	-
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	3.00	1.75
अन्य8.4.2 और 8.4.3	9.44	5.85
कुल	**195.51**	**149.06**

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
साइट बहाली/खदान बंद करना[9.1.3]	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन[9.1.2]	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
एक्स-ग्रेसिया	-	-
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

अन्य कर्मचारी लाभ[9.1.4]	-	-
	-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

भारतीय मानक लेखांकन -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

	वर्ष की शुरुआत में संतुलन	अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग किया गया	अवधि के अंत में शेष राशि
अनुग्रह राशि	-	-	-	0.00
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-	-	0.00
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	0.00
अन्य	-	-	-	0.00

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (वर्तमान और गैर-वर्तमान) में गतिविधि का विवरण

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(ii) अनुपात भिन्नता आरक्षित निधियाँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान उलट	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (i-ii)	-	-

भूमि पुनर्ग्रहण/स्थल पुनरुद्धार/खदान बंद करने का समाधान :

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	0.00	
साइट बहाली प्रावधान का जोड़	-	
जोड़ें: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की वापसी	0.00	0.00
घटाएँ: अवधि के दौरान निकासी	-	
खदान बंद करने का प्रावधान	0.00	0.00

टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर चालू देयताएं

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य	-	
कुल	-	-

टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देयताएं

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
वैधानिक बकाया	0.30	0.42
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम राशि	-	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य देयताएँ2	-	-
कुल	0.30	0.42

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आयकर संपत्तियाँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	428.26	422.82
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	3.11	5.44
अवधि के दौरान उलटफेर/वापसी	(108.84)	-
अवधि के समापन पर शेष राशि	322.53	428.26
आयकर देयताएँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	218.27	217.01
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	42.52	6.03
अवधि के दौरान उलटफेर/समायोजन (14.1 और 15.1 देखें)	6.04	4.77
अवधि के समापन पर शेष राशि	254.75	218.27
अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	**67.78**	**209.99**
इस प्रकार खुलासा किया गया:		
गैर चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	-	-
आयकर देयताएं (शुद्ध)	-	-
चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	-	209.99
आयकर देयताएं (शुद्ध)	-	-
	-	209.99

टिप्पणी - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2023 तक शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(उत्क्रम)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संदिग्ध अग्रिम, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान				-
कर्मचारी लाभ				-
अन्य				-
(क) का योग	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित				-
अन्य	-			-
(ख) का योग	-	-	-	-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (ग= क-ख)	-	-	-	-
घ. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन DTL(+)/DTA(-)	-			-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (ड़ =ग+घ)	-	-	-	-

Disclosed as:	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-	-
आस्थगित कर देयता	-	-
	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(₹ लाख में)

टिप्पणी - 12.1 : संचालन से राजस्व	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विक्रय		
विक्रय	-	
घटाव: वैधानिक लेवी	-	
विक्रय (शुद्ध) (ए) 12.1.1, 12.1.2 और 12.1.3	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	-	
घटाव: वैधानिक लेवी	-	
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क		
घटाव: वैधानिक लेवी		
	-	-
सेवाओं से राजस्व[4]	-	
घटाव: वैधानिक लेवी	-	
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क+ख)	-	-

टिप्पणी- 12.2 : अन्य आय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय12.2.1	104.32	61.37
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ	-	
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	-	
पट्टा किराया12.2.2	-	
प्रावधान वापस लिखा गया12.2.2	-	
दायित्व वापस लिखा गया	-	
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	
विविध आय12.2.3	111.79	
कुल	**216.11**	**61.37**

12.2.1 आयकर रिफ़ंड पर ब्याज शामिल है ₹ 111.79 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

12.2.2 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण		
निगम और कर्मचारियों को दिए गए ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 13.1: सामग्री खपत की लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	-	
लकड़ी	-	
तेल और लुब्रिकेंट	-	
एचईएमएम पुर्जे	-	
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	-	
कुल	-	-
नोट - 13.1(ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

टिप्पणी 13.2: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	
	-	-
कार्यशाला और प्रेस जॉब्स की इन्वेंट्री में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
वर्ष के अंत में स्टॉक	-	
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी13.3.1 & 13.3.2	32.28	26.73
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	
कर्मचारी कल्याण व्यय	0.27	0.36
कुल	**32.56**	**27.08**

टिप्पणी 13.4 : वित्तीय लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
छूट की समाप्ति	-	
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत13.4.1	10.92	6.61
कुल	**10.92**	**6.61**

टिप्पणी - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	0.15	0.15
प्रगति में पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.4)	-	-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	0.15	0.15
घटाव :		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय में स्थानांतरित	-	
कुल	**0.15**	**0.15**

वर्ष के दौरान कंपनी ने तकनीकी रूप से संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी कार्यकाल का मूल्यांकन और समीक्षा की है। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन में ₹ 0.00 की वृद्धि (कमी) हुई है। भविष्य की अवधि में प्रभाव की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि इसका अनुमान लगाना अव्यवहारिक है।

टिप्पणी - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
कोयले तक बेहतर पहुंच	-	
अनुपात भिन्नता रिजर्व	-	
	-	-

13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य उस अवधि के दौरान अतिरिक्त भार हटाने से है जो उस अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँच में सुधार होता है।

टिप्पणी - 13.7: संविदागत व्यय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
परिवहन शुल्क	-	
वैगन लोडिंग	-	
प्लांट और उपकरणों को किराए पर लेना	-	
अन्य संविदात्मक कार्य	-	
कुल	-	-

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली खर्च	-	
मरम्मत और रखरखाव		
-बिल्डिंग	-	
-प्लांट और उपकरण	-	
-अन्य	-	
यात्रा खर्च	-	0.14
प्रशिक्षण खर्च	-	
टेलीफोन और इंटरनेट	-	
विज्ञापन और प्रचार	-	
माल ढुलाई शुल्क	-	
विलंब	-	
अंडर लोडिंग शुल्क	-	
कोयला नमूनाकरण शुल्क	-	
सुरक्षा व्यय	-	
कानूनी खर्च	-	
सीआईएल के सेवा शुल्क	-	
परामर्श शुल्क	0.66	1.30
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	-	
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	
ऑडिटर का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस के लिए	1.06	1.06
कर मामलों के लिए	-	

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

अन्य सेवाओं के लिए	-	
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.53	0.53
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	-	
पुनर्वास शुल्क	-	
लीज़ किराया और किराये पर लेने के शुल्क1	-	
दरें और कर	-	
बीमा	-	
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय13.4.2	-	
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	
प्रावधान13.4.1	-	
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के बट्टे खाते में डालने के बाद)	-	
विविध व्यय	1.29	0.51
कुल	**3.55**	**3.55**

13.4.1 प्रावधानों का विवरण		
निगम और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

टिप्पणी - 14.1 : कर व्यय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	42.52	6.03
पिछले वर्ष	-	-
कुल चालू कर	**42.52**	**6.03**
आस्थगित कर	-	
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	
कुल	**42.52**	**6.03**
14.1.1 कर व्यय का समाधान:		
कर से पहले लाभ/(हानि)	168.94	23.97
आयकर दर 25.168% (31.03.2022: 25.168%) पर	42.52	6.03
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर		
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	(0.00)	
MAT प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	42.52	6.03
प्रभावी आयकर दर:	**25.17%**	**25.17%**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

14.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

टिप्पणी - 15.1 : अन्य व्यापक आय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन1	-	
	-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	
	-	-
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	
"विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय भिन्नता "	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 38: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 क) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2023 तक प्रारम्भिक शेष					-
वर्ष के दौरान योग					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					-
ख. वर्ष के दौरान योग से					-
31.03.2024 को समापन					-

(₹ लाख में)

	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2022 तक प्रारम्भिक शेष					-
वर्ष के दौरान योग					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					-
ख. वर्ष के दौरान योग से					-
31.03.2023 को समापन					-

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्रमांक	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
1	केन्द्र सरकार आय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्वच्छ ऊर्जा उपकर	94.79	336.43

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

	केंद्रीय विक्रय कर सेवा कर अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप-योग	**94.79**	**336.43**
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण रॉयल्टी पर्यावरण मंजूरी विक्रय कर/वैट प्रवेश कर विद्युत शुल्क अन्य		
	उप-योग	-	-
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मध्यस्थता कार्यवाही कंपनी के अधीन मुक़दमेबाज़ी के विरुद्ध मुकदमा अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		 - - -
	उप-योग	-	-
4	अन्य: (यदि कोई हो) विविध - भूमि एवं अन्य कर्मचारी संबंधित और आदि		
	उप-योग	-	-
	कुल योग	**94.79**	**336.43**

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत मामलों के निपटान में कोई रुचि अपेक्षित नहीं है, सिवाय इसके कि जहां प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो।
कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त परिणाम से कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
1. आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए आयकर की मांग की है और इसे सीआईटी (अपील), संबलपुर में आदेश के विरुद्ध दायर विरोध और अपील के तहत जमा किया गया है। सीआईटी (अपील) ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए आयकर अधिकारी द्वारा उठाई गई मांग पर एमएनएच शक्ति लिमिटेड को अनुकूल आदेश दिया। वित्तीय वर्ष 2011-12 में विरोध के तहत जमा राशि 94.79 लाख रुपये है।
आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2024 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख (पिछला वर्ष .₹0.00 लाख) है।

III. साख पत्र

31.03.2024 तक बकाया साख पत्र शून्य (पिछला वर्ष. शून्य) है।

b) प्रतिबद्धताएँ

31.03.2024 तक शून्य

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह की जानकारी

i) प्रमोटर कंपनियाँ

क्र.सं.	**इकाई का नाम**	**मुख्य गतिविधियाँ**	**इसके निगमन का देश**	**% इक्विटी ब्याज**	
				31.03.2024	**31.03.2023**
	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	विविधीकृत	भारत	15	15
	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	बिजली/लिग्नाइट खनन	भारत	15	15
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	70	70

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

II दिनांक 31.03.2024 को बकाया शेष राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य (एमसीएल के साथ चालू खाते पर ब्याज और कर्मचारियों का वेतन)	चालू खाता शेष देय / प्राप्य	बकाया शेष (देय) / प्राप्य
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड						41.61	181.37	
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड								
एनएलसी इंडिया लिमिटेड								
कुल	-	-	-	-	-	41.61	181.37	-

iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री जे. के. बोरा (डीआईएन: 09632444)	अध्यक्ष	06.12.2021
सुश्री गीतिका आनंद (डीआईएन:	निदेशक	20.07.2023
श्री. एस. सी. सुमन (डीआईएन: 09549424)	निदेशक	08.06.2022
श्री ए.के. पांडे (डीआईएन: 10152192)	निदेशक	16.04.2023
श्री ए.के. सिंह (डीआईएन: 09501892)	निदेशक	16.01.2022
श्री एम.एस. शर्मा	सीईओ	09.01.2023
श्री एस. के. देबनाथ	सीएफओ	27.10.2022
श्री एम. तिवारी	सीएस	20.10.2022

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्रम सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2024	31.03.2023
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
क	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	1.20	4.85
ख	स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति शुल्क	-	-
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	-	0
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	सेवा -समाप्ति लाभ		-
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	1.20	4.85

Note:

VI) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया राशि का संतुलन

(₹ लाख में)

Sl. No.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

VIII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

3 अन्य

a) अधिकृत पूंजी

(₹ लाख में)

	31.03.2024	31.03.2023
₹ 10/- प्रत्येक के 100000000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	10000.00	10000.00

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

4 **उचित मूल्य माप**

(क) वर्गवार वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

	31-03-2024		31-03-2023	
	एफ़वीटीपीएल	**परिशोधित लागत**	**एफ़वीटीपीएल**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
वरीयता शेयर				
इक्विटी घटक		0	0	0
ऋण घटक		0	0	0
सुरक्षित बॉन्ड				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				
ऋण				
जमा एवं प्राप्य		2,480.70		2,458.38
व्यापार प्राप्य*				
नगद एवं नगद समतुल्य		1,851.52		1,396.05
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देयताऐं				
उधार				
व्यापार देय				
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि		1.71		1.71
पट्टा देयताएं				
अन्य देयताऐं				

(b) उचित मूल्य अनुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (a) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (b) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों की घोषणा की जाती है । उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया	31-03-2024		31-03-2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए दिनांक 31.03.2023 को उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है।	31-03-2024		31-03-2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
वरीयता शेयर				
इक्विटी घटक		0		0
ऋण घटक		0		0
सुरक्षित बॉन्ड				
ऋण				
जमा एवं प्राप्य		2,480.70		2,458.38
व्यापार प्राप्य*				
नगद एवं नगद समतुल्य		1,851.52		1,396.05
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देयताऐं				
उधार				

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

व्यापार देय				
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि		1.71		1.71
पट्टा देयताएं				
अन्य देयताऐं				

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं तो साधन को शामिल किया जाता है

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

(c) उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्य निशादन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोके रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

5 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण ।
नगदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम-विदेशी विनिमय	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

A. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

B. नगदी जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन के साथ, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

6 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एएस-19)

कर्मचारियों को एमसीएल से प्रतिनियुक्त किया जाता है, वेतन मूल कंपनी द्वारा दिया जाता है और आवश्यक डेबिट कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है।

7 अन्य सूचना

क) सेगमेंट रिपोर्टिंग

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, समूह के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(ख) पट्टा

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	अनुबंध वैध अवधि	प्रति वर्ष पट्टे किराया	टिप्पणियाँ

(c) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

(d) शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(f) समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

(h) कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	भिन्नता
(a) चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	22.9547	28.9121	-21%
(b) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की बैलेंस शीट में पाई जा सकती हैं। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
(c)ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती ""कर के बाद शुद्ध लाभ"" का अर्थ है ""अवधि के लिए लाभ / (हानि)"" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की मदें शामिल नहीं हैं। "	0.0000	0.0000	0%
(d) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न(प्रतिफल): यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का किस तरह उपयोग किया गया है। यह इक्विटी धारकों को मिलने वाले प्रतिशत प्रतिफल को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ में से वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) घटाया जाता है) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से भाग दिया जाता है	0.0298	0.0043	593%
(ई) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है। जब इन्वेंट्री के प्रारंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष द्वारा COGS या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(f) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्य के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
(g) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना शुद्ध ऋण खरीद को औसत लेनदारों से विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = शुद्ध ऋण खरीद / औसत व्यापार देय शुद्ध ऋण खरीद में सकल ऋण खरीद में से खरीद रिटर्न घटाया जाता है जब ऋण खरीद, व्यापार लेनदारों के आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के समापन शेष से विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
(h) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(i) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(j) नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई): नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.0418	0.0073	471%
(k) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।			

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(i) असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: उप-सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.0000	0.0000	0%
	0.0000	0.0000	0%
	0.0000	0.0000	0%
	0.0000	0.0000	0%
(v) जमाराशियों पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित आईसीडी के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

8 विविध जानकारी

i. जहां भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

ii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और 12 से 13 लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 1 से 16 तक हस्ताक्षर
बोर्ड की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एस टी आर एल एंड एसोसिएट एल एल पी के और ओर से
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए संदीप कुमार टीबेरवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 302197)
फर्म पंजीकरण संख्या - 015354सी

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 13.04.2024

एमएनएच शक्ति लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय:
आनंद विहार, पोस्ट– जागृति विहार, संबलपुर, ओड़िशा, 768020